

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

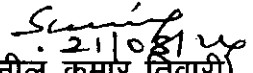
पटना-15, दिनांक 21.8.26

संख्या-7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0.15404/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को औरंगाबाद जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

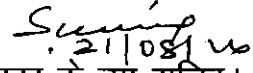
क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-5914/गो. दिनांक 10.08.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	11.08.2026	पैक्स निर्वाचन, 2026	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सुनील कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0.15404/पटना-15, दिनांक 21.8.26

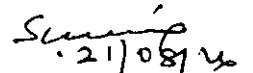
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु दो प्रतियों में सी0डी0 के साथ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0.15404/पटना-15, दिनांक 21.8.26

प्रतिलिपि-अवर सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से अनुरोध है कि संबंधित कार्मिकों को सूचित कर दिया जाय।


सरकार के उप सचिव।